राजस्व लोक अदालत केम्प मेवानगर तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस

मुकदमा न0 142/2018

वादीगण :– 1 डूंगरसिंह पुत्र बीजराजसिंह कौम रावणा राजपूत सा. बामसीन

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. कबूदेवी जोजे शंकरलाल पुत्र गोविन्दराम प्रजापत सा0 माजीवाला
2.सरपंच ग्राम पचांयत मेवानगर

88 आर.टी.ए **दावा बाबत घोषणा**

निर्णय दिनांकः–21.06.2018

वादी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत मेवानगर प्रस्तुत की गई है।

वादीगण ने वाद पत्र में सक्षिप्त रूप से प्रकरण में जाहिर किया कि ग्राम बामसीन के ख0 न0 71/18 रकबा 10.15 बीघा में पंजियन दस्तावेज अनुसार वादी डूंगरसिंह वल्द बींजराजसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड में 1 बीघा का खातेदारी हक प्रदान किया जाने की शेष 9.15 बीघा में प्रतिवादी कबू देवी पत्नि शंकरलाल कौम प्रजापत के नाम दर्ज की जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । वादीगण द्वारा पेश वाद के साथके प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, आधार कार्ड, ब्यानकर्ता डूंगरसिंह, कबूदेवी के गवाह ब्यान व पटवारी मेवानगर/आर.आई तिलवाडा व उपतहसीलदार जसोल की संयुक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम बामसीन के ख0 न0 71/18 रकबा 10.15 बीघा में पंजियन दस्तावेज अनुसार वादी डूंगरसिंह वल्द बींजराजसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड में 1 बीघा का खातेदारी हक प्रदान किया जाने की शेष 9.15 बीघा में प्रतिवादी कबू देवी पत्नि शंकरलाल कौम प्रजापत के नाम दर्ज किया जाएं।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है वादीगण ग्राम बामसीन के ख0 न0 71/18 रकबा 10.15 बीघा में पंजियन दस्तावेज अनुसार वादी डूंगरसिंह वल्द बींजराजसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड में 1 बीघा का खातेदारी का हक हिस्से व शेष 9.15 बीघा में कबूदेवी पत्नि शंकरलाल प्रजापत के नाम हक हिस्से तक खातेदारी घोषित किया है।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प......मेवानगर

Scanned by CamScanner

पेज 2/2

अतः ग्राम बामसीण के खनं० 71/18 रकबा 10.15 बीघा मे डूंगरसिंह पुत्र बींजराजसिंह का हिस्सा 1 बीघा व कबूदेवी पत्नि शंकरलाल का हिस्सा 9.15 बीघा में हक हिस्सा दर्ज करने, आदेश राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है।

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प....

Scanned by CamScanner